



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं.: GCCO/II/3/TRAN/15/2025- ADMN

स्थापना आदेश सं.: 06/2026

दिनांक: ई-हस्ताक्षरित

अधीक्षक श्रेणी में निम्नानुसार आवंटन/ पदस्थापना आदेश तत्काल प्रभाव से एवं अग्रिम आदेशों तक जारी किये जाते हैं:-

क्रम. सं.	अधीक्षक का नाम	जन्मतिथि	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री संतोष कुमार महावर	05.01.1992	पदोन्नति पर	सीमा शुल्क (जयपुर) (एजीटी-2026 तक)
2.	श्री सुमित भारद्वाज	24.07.1988	पदोन्नति पर	डीआरआई, जयपुर (मु.आ.का. से ऋण आधार पर) (एजीटी-2026 तक)
3.	श्री अमन चोट	06.02.1991	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, अलवर (भिवाड़ी) (एजीटी-2026 तक)
4.	श्री आदित्य पंचोली	14.11.1989	पदोन्नति पर	डीजीआई, जयपुर (मु.आ.का. से ऋण आधार पर) (एजीटी-2026 तक)
5.	श्री विकाश कुमार मीना	10.10.1992	पदोन्नति पर	सीजीएसटी, उदयपुर (उदयपुर) (एजीटी-2026 तक)
6.	श्री दिलीप कुमार	01.07.1971	प्रतिनियुक्ति से लौटने पर	सीजीएसटी, उदयपुर
7.	श्री विक्रम सिहाग	15.09.1989	प्रतिनियुक्ति से लौटने पर	सीजीएसटी, अलवर (भिवाड़ी के अलावा)

2. क्रम सं. 1 से 5 पर दर्शाए गए अधिकारियों को निरीक्षक से अधीक्षक पद पर पदोन्नति उपरान्त और सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण, 2026 तक उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही रखा गया है, अतः सम्बंधित आयुक्तालय/ निदेशालय द्वारा सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण, 2026 तक उनके पदस्थापन स्थान (Posting Station) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए।

3. क्रम सं. 6 पर दर्शाए गए अधिकारी ने प्रतिनियुक्ति से लौटने पर इस कार्यालय में कार्यग्रहण नहीं किया है, अतः उन्हें निर्देश दिए जाते हैं कि वह सीधे ही अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण

नव केन्द्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर – 302005 (राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स : 0141-2385130, ईमेल : ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्विटर : @CGSTJAIPURZONE

करे। क्रम सं. 7 पर दर्शाए गए अधिकारी को आज दिनांक 09.02.2026 (अपरान्ह) को अवकाश पर रहते हुए कार्यमुक्त कर निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने नाम के सम्मुख दर्शाए गए आयुक्तालय में कार्यग्रहण करे।

यह आदेश मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर जोन की संस्वीकृति से जारी किये जा रहे हैं।

(निष्ठा शर्मा)
संयुक्त आयुक्त

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सीजीएसटी एवं के.उ.शु., जयपुर/ अलवर/ जोधपुर/ उदयपुर/ अंकेक्षण – जयपुर/ अंकेक्षण – जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/ अपीलस, जोधपुर/ सीमा शुल्क (नि.), जोधपुर मु. जयपुर।
2. अपर महानिदेशक, डीजीजीआई, जयपुर।
3. अपर निदेशक, डीआरआई, जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, सीजीएसटी एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. सम्बंधित अधिकारी।
6. अधीक्षक संघ/ नोटिस बोर्ड/ गार्ड फ़ाइल।
7. वेबमास्टर - जोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।